यू०एस० तोमर
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर
सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 02[illegible]
फोन -2732193, फैक्स-273218[illegible]

पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2009/
दिनांक : 10 जनवरी, 2009 3851-15

सेवा में,

निदेशक,
आई०आई०एल०एम० एकेडमी आफ हायर लर्निंग,
लखनऊ।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2437/सोलह-1-2008-13(47)/2007 TC दिनांक 09 जुलाई 2008 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा [illegible] के अधीन शासन की पूर्वानुमति से [illegible] दिनांक 03 सितम्बर 2008 में आई०आई०एल०एम० एकेडमी आफ हायर लर्निंग, लखनऊ को एम०बी०ए० [illegible] सीट की प्रवेश क्षमता के साथ [illegible] पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु दिनांक [illegible] 2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में [illegible] कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था की प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
4. संस्था से एक माह के अन्दर, दिनांक 30 जनवरी, 2009 तक संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
5. संस्था द्वारा उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को दिनांक 20 जनवरी, 2009 तक यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
7. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2009-10 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियां नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. संस्था में एम०बी०ए० 60-120 सीट की क्षमता वृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2007-08 की भी सम्बद्धता प्रदान की गई है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में [illegible] के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव

(Dr. Ajay Prakash)
Director
IILM Academy of Higher Learning
Gomti Nagar, Lucknow.

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव

यू0एस0 तोमर
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226 021
दूरभाष संख्या : 0522-2732193 फैक्स संख्या : 0522-2732185

266
24/12/07

पत्र संख्या: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2007/ 27723-28(0)
दिनांक 26 दिसम्बर, 2007

सेवा में,

निदेशक,
आई0आई0एल0एम0 एकेडमी आफ हाइयर लर्निंग,
लखनऊ ।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या ए 34/16-1-2007-13 (9)/2007 टी0सी0 V, दिनांक 31 अगस्त, 2007 से शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन पूर्व मंजूरी के अनुसार कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 19 नवम्बर 2007 में आई0आई0एल0एम0 एकेडमी आफ हाइयर लर्निंग, लखनऊ को एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु दिनांक 1.7.2007 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. संस्था में कार्यरत शिक्षकों की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सूची दो माह के अंदर उपलब्ध कराई जायेगी और संस्था अभातशिप के मानकों के सापेक्ष संस्था के शैक्षिक स्टाफ/अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी।
3. संस्था द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेगी।
4. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2008-09 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
6. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू0एस0तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू0एस0तोमर)
कुलसचिव

यू०एस० तोमर
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर सीतापुर रोड, लखनऊ-21
फोन नं0: 0522-2732193
फैक्स नं0: 0522-2732185

पत्र सं0: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2006/ 22250-52
दिनांक: 9 जनवरी,2006

सेवा में,

निदेशक,
आई.आई.एल.एम. एकेडमी आफ हायर लर्निंग,
लखनऊ।

विषय: उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सत्र 2005-06 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेश सं0 ई0स0/1335/जी.एस. दिनांक 20.07.2005 (छाया प्रति संलग्न) से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम-2000 की धारा-23(2) के अंतर्गत प्राप्त पूर्व मंजूरी के अनुसार कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 नवम्बर, 2005 में आई.आई.एल.एम. एकेडमी आफ हायर लर्निंग, लखनऊ को महामहिम कुलाधिपति महोदय के उक्त पत्र में अंकित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार दिनांक 01.7.2005 से सत्र 2005-06 हेतु संचालित करने के लिए महामहिम कुलाधिपति के ऊपर संदर्भित आदेश दिनांक 20.7.05 में निहित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

(176)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 1335 /जीएस.
दिनांक 20/7/ २००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००५/७५४२-४३ दिनांक ३०.६.२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन आई.आई.एल.एम.एकेडमी आफ हायर लर्निंग लखनऊ को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में साठ सीटो की प्रवेश क्षमता हेतु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००५ से सत्र २००५-०६ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करती रहेगी तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहें। ए.आई.सी.टी.ई.का संस्था पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

२. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी.सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

३. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।

भवदीय

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ।

३. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली

४. निदेशक आई.आई.एल.एम.एकेडमी आफ हायर लर्निंग लखनऊ

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

ए०के० दमेले
(पी०सी०एस०)
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर,
सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
फोनः 2732193, फैक्सः 2732185

पत्रांकः उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2003/16890-910
दिनांकः 15, दिसम्बर, 2003

सेवा में,

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
नई दिल्ली।

विषयः प्रदेश में सत्र 2004-2005 से एम.बी.ए./एम.सी.ए./होटल मैनेजमेन्ट के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए नई संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 4612/2003-सोलह-1-15(35)/2003, दिनांक 13 दिसम्बर, 2003 के क्रम में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को उनके सामने अंकित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के लिए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित प्रवेश क्षमता के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने की स्थिति में यदि उक्त परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है तो इस विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नही है। यह अनापत्ति ऊपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 13.12.2003 में निहित शर्तो तथा प्रतिबंधों के अंतर्गत हैं। संस्थान में उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता होने के आदेश निर्गत होने के पश्वात् ही होंगे। यह अनापत्ति सत्र 2004-05 के लिए है।

क्र स	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	क्षमता
1	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस, मोहन नगर, गाजियाबाद।	एम.बी.ए.	60
2	कालका इंस्टीट्यूट फार रिसर्च एण्ड एडवांस स्टडीज, मेरठ	एम.बी.ए.	60
3	किशन इंस्टीट्यूट आफ इनफारमेशन टेक्नोलाजी, मेरठ।	एम.बी.ए.	60
4	आर्मी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा।	एम.बी.ए.	60
5	कालका इंस्टीट्यूट फार रिसर्च एण्ड एडवांस स्टडीज, मेरठ।	एम.सी.ए.	60
6	इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, नोएडा।	एम.सी.ए.	60
7	किशन इंस्टीट्यूट आफ इनफारमेशन टेक्नोलाजी, मेरठ।	एम.सी.ए.	60

..2

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	क्षमता
8	आई.आई.एम.टी. होटल मैनेजमेन्ट कालेज, मेरठ।	होटल मैने. एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी	40
9	जीवन दीप इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी, वाराणसी	एम.बी.ए.	60
10	इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट साइंस, वाराणसी	एम.बी.ए.	60
11	अल-बरकत इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, अलीगढ़।	एम.बी.ए.	60
12	राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मथुरा।	एम.बी.ए.	60
13	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट, लखनऊ	एम.बी.ए.	60
14	इंस्टीट्यूट आफ इंटीग्रल टेक्नोलाजी, लखनऊ।	एम.बी.ए.	60
15	आई.आई.एल.एम. एकेडमी आफ हायर लर्निंग, लखनऊ	एम.बी.ए.	60
16	शिवगढ़ मेट्रोपेलिटन इंस्टी. आफ एच.एम.सी.टी., लखनऊ	होटल मैने. एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी	40
17	स्टेप, एच.बी.टी.आई., कानपुर।	एम.बी.ए.	60
18	मनतोरा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी, कानपुर।	एम.बी.ए.	60

संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.12.2003 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(ए0के0 दमेले)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3. उत्तर क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 1-ए, लक्ष्मण बाग, नवाबगंज, कानपुर।
4. सभी संबंधित संस्थाओं के प्रधानाचार्य/निदेशक।

(ए0के0 दमेले)
कुलसचिव